6.11.19 वकील उभयपक्ष उपस्थित शाज पेशकार उपस्थित जवाब स्टट पेश किया गया। शामिल पत्रावली किया गया। प्रकरण में राजीनामा होने पर बहस सुनी गई बहस पर मनन किया गया पत्रावली का अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन वाद वादी स्वीकार किया जाकर विस्तृत निर्णय पृथक से लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाये जाने के उपरान्त शामिल पत्रावली किया गया नियमानुसार स्टाम्प पेश होने पर डिक्री जारी हो। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

(कपिल यादव)
सहायक कलक्टर
एवं उपखण्डाधिकारी
हनुमानगढ़

18.11.19 वकील वादी द्वारा निर्णय दिनांक 6.11.19 की पालना में डिक्री जारी करवाने बाबत स्टाम्प पेश किया गया जो शा०मि० किया जाकर डिक्री जारी कर शा०मि० की गई है।

Web Copy - Not Official

सत्यमेव जयते

Scanned by CamScanner

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी :– कपिल यादव आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या :– ..../2019

1 विनोद कुमार पुत्र महावीर जाति जाट निवासी रणजीतपुरा तहसील व जिला हनुमानगढ़। – – वादी

–:: बनाम ::–

1 महावीर पुत्र श्री रामस्वरूप जाति जाट निवासी रणजीतपुरा तहसील व जिला हनुमानगढ़।

2 रजनीता पुत्री महावीर पत्नी राजेश कुमार जाति जाट निवासी आदर्शनगर तहसील व जिला हनुमानगढ़।

3 सुनीता पुत्री महावीर पत्नी श्री नरेश कुमार जाति जाट निवासी आदर्शनगर तहसील व जिला हनुमानगढ़।

4 राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व हनुमानगढ़। – – प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा 88, 53 आर.टी.ए. बाबत घोषणा एवम् विभाजन

–:: उपस्थित अभिभाषकगण ::–

1. श्री सुरेन्द्र सिहाग अधिवक्ता	वादी
2. श्री अमरिकसिंह अधिवक्ता	प्रतिवादी संख्या 1 ता 3
3. राज पैरोकार	प्रतिवादी संख्या 4

–:: निर्णय ::– दिनांक :– 06.11.2019

वादी द्वारा प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 के विरूद्ध यह वाद अन्तर्गत धारा 88, 53 आर.टी.ए. के तहत इस न्यायालय में प्रस्तुत किया संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है, कि मुझ वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 महावीर के नाम वाके चक 10 एम.जैड.डबल्यू. खाता संख्या 85/70 मे 4.063 हैक्टर कमाण्ड अनकमाण्ड भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड है। नकल जमाबंदी वाके चक 10 एम.जैड.डबल्यू. खाता संख्या 85/70 सम्वत 2073–76 हमराह पेश है।

अर्जीदावा की दफा 3 मे वर्णित भूमि मुझ वादी के दादा स्व. रामस्वरूप की भूमि थी जो उनके फौत होने के पश्चात् बसिलसिला विरासतन प्रतिवादी संख्या 1 पर औद हुई। क्योंकि उक्त भूमि हिन्दु संयुक्त परिवार की पैतृक भूमि होने के कारण मुझ वादी व प्रतिवादीगण सख्या 1 ता 3 को भी बर्थ राईट हासिल है। चूंकि अब उक्त हिन्दु संयुक्त परिवार विभक्त हो चुका है तो मुझ वादी प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 ने आपस मे घरू बंटवारा कर लिया है घरू बंटवारा (पारीवारिक समझौता) होने के पश्चात प्रतिवादीया 2 व 3 ने घरू बंटवारा मे प्राप्त अपने हक हिस्सा की भूमि मुझ वादी व प्रतिवादीगण संख्या 1 के पक्ष मे हक त्याग कर दिया है। प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 का घरू बंटवारा मे प्राप्त अपने हक हिस्सा की भूमि का हक त्याग करने के पश्चात् मुझ वादी को वाके चक 10 एम.जैड.डबल्यू. खाता संख्या 85/70 मे प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज 4.063 हैक्टर कमाण्ड अनकमाण्ड मे से 2.152 हैक्टर भूमि प्राप्त हुई परन्तु राजस्व रिकार्ड मे अभी तक भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज होने के कारण मुझ वादी के खातेदारी अधिकारो पर विपरीत प्रभाव पड़ता है।

सहायक कलक्टर
एवं उपखण्डाधिकारी
हनुमानगढ़

लगातार 2

Scanned by CamScanner

अतः वादी घोषणा इस अमर की प्राप्त करने का अधिकारी है कि वादी वाके चक 10 एम.जैड.डबल्यू. खाता संख्या 85/70 मे प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज 4.063 हैक्टर कमाण्ड अनकमाण्ड मे से 2.152 हैक्टर भूमि का खातेदार काश्तकार है।

मुझ वादी को घरू बंटवारा मे प्राप्त अपने हक हिस्सा की भूमि तक संयुक्त खाता मे दर्ज होने के कारण वादी का सहकाश्तकारान के साथ आपस मे सींव बट रकम राज आदि का विवाद रहता है। अतः वादी मुताबिक कब्जा काश्त अपना खाता तकसीम करवाना चाहता है।

वादी का कब्जा काश्त :- वाके चक 10 एम.जैड.डबल्यू. खाता संख्या 85/70 पत्थर नम्बर 167/372 मुरबा नम्बर 31 किला नम्बर 23/2/.228 हैक्टर कमाण्ड, पत्थर नम्बर 168/372 मुरबा नम्बर 32 किला नम्बर 18 ता 20 प्रत्येक 0.253 हैक्टर, 21/2 ता 24/2 प्रत्येक 0.228 हैक्टर पत्थर नम्बर 168/373 मुरबा नम्बर 43 किला नम्बर 4/.253 हैक्टर कुल 2.152 हैक्टर

वादी मुताबिक कब्जा काश्त अपना खाता तकसीम करवा उसी अनुसार राजस्व रिकार्ड मे अंकन करवाने व रकम राज कायम करवाने का अधिकारी है। वादी ने प्रतिवादीगण को वादी के हिस्सा की घोषणा व घरू बंटवारा अनुसार खाता तकसीम करवाने हेतु कहा पहले तो वे टाल मटोल करते रहे परन्तु 10 रोज पूर्व मुकाम रणजीतपुरा मे साफ इन्कार हो गये। यही विनाय मुखासमत है। प्रतिवादी संख्या 4 को बतौर भूधारक प्रतिवादी पक्षकार बनाया गया है। वाद वादी माननीय न्यायालय के क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार मे है जो उचित कोर्ट फीस पर प्रस्तुत है।

लिहाजा वाद वादी बहक वादी खिलाफ प्रतिवादीगण निम्न प्रकार से डिक्री सादिर फरमाया जावे :-

(क) घोषणा फरमाई जावे कि वादी वाके चक 10 एम.जैड.डबल्यू. खाता संख्या 85/70 मे प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज 4.063 हैक्टर कमाण्ड अनकमाण्ड मे से 2.152 हैक्टर भूमि का खातेदार काश्तकार है।

(ख) वाद की मद संख्या 4 मे वर्णित घरू बंटवारा मुताबिक खाता तकसीम कर राजस्व रिकार्ड मे अंकन करने का आदेश फरमाया जावे।

(ग) खर्चा मुकदमा दिलाया जावे।

(घ) अन्य कोई दादरसी करीने इन्साफ मुफीद मुदई हो तो अता फरमाई जावे।

वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को जरिऐ सम्मन तलब किया गया वादी एवम् प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 के मध्य लोक अदालत की भावना से आपसी राजीनामा होनें के कारण दिनांक 24.10.2019 को उपस्थित होकर राजीनामा प्रस्तुत किया जिसको वादी एवम् प्रतिवादी द्वारा पढ़नें समझने के बाद हस्ताक्षर किये गये। उभयपक्ष की पहचान उनके अधिवक्तागणों द्वारा किये जानें पर राजीनामा तस्दीक किया जाकर शामिल पत्रावली किया गया।

वादी एवम् प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत राजीनामा में कथन किया गया कि उक्त प्रकरण मे हम पक्षकारान का पंचायत के मौजिज व्यक्तियो ने राजीनामा करवा दिया है। प्रतिवादी

सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी हनुमानगढ़

लगातार 3

सत्यमेव जयते
Web Copy Not Official
Scanned by CamScanner

संख्या 1 महावीर के नाम वाके चक 10 एम.जैड.डबल्यू. खाता संख्या 85/70 मे 4.063 हैक्टर कमाण्ड अनकमाण्ड भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड है। उक्त वर्णित भूमि वादी के दादा स्व. रामस्वरूप की भूमि थी जो उनके फौत होने के पश्चात् बसिलसिला विरासतन प्रतिवादी संख्या 1 पर औद हुई। क्योकि उक्त भूमि हिन्दु संयुक्त परिवार की पैतृक भूमि होने के कारण वादी व प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 3 को भी बर्थ राईट हासिल है। चूंकि अब उक्त हिन्दु संयुक्त परिवार विभक्त हो चुका है तो वादी प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 ने आपस मे घरू बटवारा कर लिया है घरू बंटवारा (पारीवारिक समझौता) होने के पश्चात प्रतिवादीया 2 व 3 ने घरू बंटवारा मे प्राप्त अपने हक हिस्सा की भूमि वादी व प्रतिवादीगण संख्या 1 के पक्ष मे हक त्याग कर दिया है। प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 का घरू बंटवारा मे प्राप्त अपने हक हिस्सा की भूमि का हक त्याग करने के पश्चात् वादी को वाके चक 10 एम.जैड.डबल्यू. खाता संख्या 85/70 मे प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज 4.063 हैक्टर कमाण्ड अनकमाण्ड मे से 2.152 हैक्टर भूमि प्राप्त हुई। मुताबिक राजीनामा वादी को वाके चक 10 एम.जैड.डबल्यू. खाता संख्या 85/70 मे प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज 4.063 हैक्टर कमाण्ड अनकमाण्ड मे से 2.152 हैक्टर भूमि का खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे एवं निम्नानुसार खाता अलग अलग कायय किया जावे तो हम पक्षकारान को कोई आपति एतराज नहीं है।

वादी का कब्जा काश्त :– वाके चक 10 एम.जैड.डब्ल्यू. खाता संख्या 85/70 पत्थर नम्बर 167/372 मुरब्बा नम्बर 31 किला नम्बर 23/2/.228 हैक्टर कमाण, पत्थर नम्बर 168/372 मुरब्बा नम्बर 32 किला नम्बर 18 ता 20 प्रत्येक 0.253 हैक्टर, 21/2 ता 24/2 प्रत्येक 0.228 हैक्टर पत्थर नम्बर 168/373 मुरब्बा नम्बर 43 किला नम्बर 4/.253 हैक्टर कुल 2.152 हैक्टर।

लिहाजा राजीनामा प्रस्तुत कर निवेदन है कि राजीनामा तस्दीक फरमाया जाकर मुताबिक राजीनामा वाद वादी डिक्री फरमाया जावे तो हम पक्षकारान सहमत है।

प्रतिवादी संख्या 4 की और से राज पैरोकार द्वारा जबाव स्टेट प्रस्तुत किया जिसके अन्तर्गत कथन किया कि राज्य हीत को सुरक्षित रखते हुए वाद पत्र का निस्तारण फरमाया जावे।

प्रकरण में उभयपक्ष के मध्य किसी प्रकार का प्रतिवादी नहीं होनें से प्रकरण में विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुनी गई दौरानें बहस विद्वान अधिवक्तागणों नें वाद एवम् राजीनामा में दिये गये कथनों को दोहराते हुए उसी अनुसार वाद डिक्री किया जाकर वाद का निर्णय करनें हेतु निवेदन किया। इस सम्बंध में आर.आर.डी. 1981 पेज 512 आर.टी.ए. की धारा 38–39–40–53, आर.आर.डी. 1966 पेज 71 ए.आई.आर. 1976 (एससी) पेज 807 व 178 आर.आर.डी. पेज 219 आर.आर.डी. 1975–478, ए.आई.आर.1966 (एस.सी.) 432 आर.आर.डी. 1975 पेज 489 की नजीर प्रस्तुत करते हुए आर.टी.ए. की धारा 53 की भी व्याख्या करते हुए कथन किया कि आपसी समझौते या अदालत के आदेशानुसार बंटवारा किया जा सकता है।

राजस्थान काश्तकारी (बोर्ड आफ रेवेन्यू) अधिनियम 1955 के नियम 19 व आदेश 12 नियम 6 एवम् आदेश 23 नियम 3 सीपीसी में समझौता के आधार पर वाद डिक्री किया जा सकता है। राजस्व (ग्रुप–6) विभाग जयपुर के पत्रांक प.5(1)राज/6/97/10 दिनांक 08.09.1997 के अनुसार सह कृपकों में जोत के विभाजन की सहमती हो जाये तो ऐसी सहमती के आधार पर डिक्री की जा सकती है। हिन्दु उत्तराधिकार विधि के अनुसार पुत्र को अपनें पिता की पैतृक सम्पति में जन्म से ही अधिकार है। इसलिये पुत्र अपनें पिता की पैतृक सम्पति में पिता के जीवनकाल में ही जोत का विभाजन करवा सकता है।

सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी

लगातार 4

Web Copy - Not Official

Scanned by CamScanner

ए.आई.आर. 1976 एस.सी. 807 के अनुसार यदि हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम के अनुरूप हिस्सा प्रदान न किया गया हो या किसी का हिस्सा कम ज्यादा हो तो भी माननीय उच्चतम न्यायालय नें पारिवारिक समझौते को अधिक मान्यता दी है। पारिवारिक समझौता धोखा धड़ी या किसी के प्रभाव में न हो तो उस पारिवारिक समझौता को मान्यता दी जा सकती है। जिससे वाद कम हो, पारिवारिक समझौता पक्षकारान द्वारा न्यायालय में उपस्थित होकर प्रस्तुत किया गया हो।

मुल्ला के हिन्दु कानून की धारा 221–22 के अनुसार सयुक्त परिवार की सम्पति पर भी पुत्र पुत्रियों का जन्म से अधिकार होता है। इसके अतिरिक्त धारा 227 के अनुसार संयुक्त हिन्दू परिवार का कोई भी सदस्य स्वयं अर्जित सम्पति को भी संयुक्त परिवार की सम्पति में शामिल कर सकता है। इस कारण उक्त वर्णित भूमि संयुक्त सम्पति की श्रेणी में आती है। जिसमें सभी हिन्दु परिवार के सदस्यों का समान हक है एवम् बंटवारा करवा सकता है। अपनें कथनों की पुष्टि हेतु आर.आर.डी. 1981 के पेज 512 एवम् आर.आर.डी. 1978 पेज 375 (एच.सी.) पेश किये। अतः राजीनामा अनुसार वाद डिक्री किया जाकर वाद का निर्णय किया जावे।

हमने विद्वान अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया। वादी एवम् प्रतिवादीगण की ओर से पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन पाया कि प्रतिवादी संख्या 1 महावीर के नाम चक नम्बर 10 एम.जैड.डबल्यू. के खाता संख 85/70 की 4.0631 हैक्टर, भूमि उभयपक्ष द्वारा प्रस्तुत राजीनामा के अनुसार जद्दी जायदाद स्वीकार होनें के कारण वादी जो कि प्रतिवादी संख्या 1 का पुत्र है, का पैतृक भूमि में हक हिस्सा होनें से वाद वादी मुताबिक राजीनामा स्वीकार किया जाना न्यायोचित है।

–:: आदेश ::–

वादी एवम् प्रतिवादीगण के विद्वान अभिभाषकगण की बहस पर मनन करनें तथा पत्रावली व प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन के बाद वादी एवम् प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत किये गये राजीनामा के अनुसार वाद पत्र को स्वीकार किया जाकर उभयपक्ष के मध्य हुए राजीनामा के आधार पर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88, के अन्तर्गत चक 10 एम.जैड.डब्ल्यू. खाता संख्या 85/70 मे प्रतिवादी संख्या 1 महावीर पुत्र रामस्वरूप की के नाम 4.063 हैक्टर भूमि में से वादी विनोद कुमार पुत्र महावीर जाति जाट निवासी रणजीतपुरा तहसील व जिला हनुमानगढ़ को पत्थर नम्बर 167/372 (31) किला नम्बर 23/2/.228 हैक्टर कमाण्ड, पत्थर नम्बर 168/372 (32) किला नम्बर 18 ता 20 प्रत्येक 0.253 हैक्टर, 21/2 ता 24/2 प्रत्येक 0.228 हैक्टर पत्थर नम्बर 168/373 (43) किला नम्बर 4/.253 हैक्टर कुल 2.152 हैक्टर भूमि खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।

तहसीलदार (राजस्व) हनुमानगढ़ को आदेशित किया जाता है कि उक्त वर्णित भूमि समस्त प्रकार से भार मुक्त होनें की दशा में उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जाकर लगान कायम किया जावे। भूमि की किस्म (यथा नहरी/बारानी/गैरमुमकिन) पूर्वानुसार ही रहेगी जिसमें किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं किया जावेगा।

खर्चा फरीकैन अपना–अपना वहन करेगें। आदेशानुसार पर्चा डिक्री जारी की जावे। पत्रावली निर्णय शुमार होकर बाद तकमील दफ्तर दाखिल हो।

आदेश आज दिंनाक 06.11.2019 को मेरे द्वारा लिखवाया खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(कपिल यादव)
सहायक कलक्टर
एवं उपखण्डाधिकारी
उपखण्ड अधिकारी एवम्
पदेन सहायक कलक्टर

Web Copy Not Official

Scanned by CamScanner

पीठासीन अधिकारी :– कपिल यादव आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या :– ..../2019

1 विनोद कुमार पुत्र महावीर जाति जाट निवासी रणजीतपुरा तहसील व जिला हनुमानगढ़।

– – वादी

–:: बनाम ::–

1 महावीर पुत्र श्री रामस्वरूप जाति जाट निवासी रणजीतपुरा तहसील व जिला हनुमानगढ़।

2 रजनीता पुत्री महावीर पत्नी राजेश कुमार जाति जाट निवासी आदर्शनगर तहसील व जिला हनुमानगढ़।

3 सुनीता पुत्री महावीर पत्नी श्री नरेश कुमार जाति जाट निवासी आदर्शनगर तहसील व जिला हनुमानगढ़।

4 राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व हनुमानगढ़। **– – प्रतिवादीगण**

दावा अन्तर्गत धारा :– 88, 53 आर.टी.ए. बाबत घोषणा एवम् विभाजन

निर्णय दिनांक :– 06.11.2019

वादी की और से श्री सुरेन्द्र सिहाग अधिवक्ता, प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 3 की और से श्री अमरिकसिंह अधिवक्ता तथा प्रतिवादी संख्या 4 की और से राज पैरोकार इस वाद में आज दिनांक ..18.11.19...... को कपिल यादव आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर हनुमानगढ़ के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिये पेश होनें पर आदेश किया जाकर डिक्री की जाती है, कि उभयपक्ष के मध्य हुए राजीनामा के आधार पर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88, के अन्तर्गत चक 10 एम.जैड.डब्ल्यू. खाता संख्या 85/70 मे प्रतिवादी संख्या 1 महावीर पुत्र रामस्वरूप की के नाम 4.063 हैक्टर भूमि में से वादी विनोद कुमार पुत्र महावीर जाति जाट निवासी रणजीतपुरा तहसील व जिला हनुमानगढ़ को पत्थर नम्बर 167/372 (31) किला नम्बर 23/2/.228 हैक्टर कमाण्ड, पत्थर नम्बर 168/372 (32) किला नम्बर 18 ता 20 प्रत्येक 0.253 हैक्टर, 21/2 ता 24/2 प्रत्येक 0.228 हैक्टर पत्थर नम्बर 168/373 (43) किला नम्बर 4/.253 हैक्टर कुल 2.152 हैक्टर भूमि खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।

तहसीलदार (राजस्व) हनुमानगढ़ को आदेशित किया जाता है कि उक्त वर्णित भूमि समस्त प्रकार से भार मुक्त होनें की दशा में उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जाकर लगान कायम किया जावे। भूमि की किस्म (यथा नहरी/बारानी/गैरमुमकिन) पूर्वानुसार ही रहेगी जिसमें किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं किया जावेगा।

खर्चा फरीकैन अपना–अपना वहन करेगें। यह डिक्री आज दिनांक ..18.11.19.. को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई

मुहर

(कपिल यादव)
उपखण्ड अधिकारी एवम्
पदेन सहायक कलेक्टर
हनुमानगढ़

–:: वाद के खर्चे ::–

वादी	रूपया	प्रतिवादी	रूपया
वाद पत्र के लिये स्टाम्प	– –	शक्ति पत्र के लिये स्टाम्प	– –
शक्ति पत्र के लिये स्टाम्प	– –	अर्जी के लिये स्टाम्प	– –
प्रदर्शो के लिये स्टाम्प	– –	प्लीडर की फीस	– –
.... रूपये पर प्लीडर की फीस	– –	साक्षियों के लिये निर्वाह भत्ता	– –
साक्षियों के लिये निर्वाह भत्ता	– –	आदेशिका की तामिल	– –
कमिश्नर की फीस			

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Kapil Kumar Yadav
Date: 2019.12.26 11:20:44 IST
Reason: SelfAttested
Location: